चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी दीपावली/कार्तिक अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 115 मोटर वाहन अधिनियम 1988 सपठित नियम 178 उ0प्र0 मोटर यान नियमावली 1998 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29.10.2024 प्रातः 06.00 बजे से 02.11.2024 की रात्रि 12.00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर एवं मेला क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गो पर प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

1. जीरो प्वाइंट बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस- वे से रेहुटिया तक प्रयागराज रोड।

2. लोढ़वारा मोड़ राष्ट्रीय मार्ग 731A से धनुष चौराहा UP, MP गेट देवांगना घाटी तक।

3. बेड़ी पुलिया चौराहा से निर्मोही अखाड़ा तक।

4. भरतकूप तिराहा से रामशैय्या, संग्रामपुर तिराहा, खोही होते हुये बहुउद्देशीय सहकारी समिति UPMP बार्डर तक।

5. शिवरामपुर तिराहा से चितरागोकुलपुर तिराहा तक।

6. लैना बाबा तिराहा से संग्रामपुर तिराहा तक।

7. चितरागोकुलपुर तिराहा से यार्डलैण्ड स्कूल UPMP बार्डर तक।

दिनांक 02.11.2024 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 03.11.2024 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो भी पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

स्थान व प्रतिबंधित समय-

1. लोढवारा मोड, राजापुर मार्ग प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक
2. रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
3. खोह (पुलिस लाइन तिराहा) मानिकपुर रोड प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
4. शेषन पुरवा मोड सोनेपुर, सतना रोड प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:30 तक
5. बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्र नाथ धर्म कांटा) बांदा रोड प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 तक
6. निर्मोही अखाड़ा यू0पी0/एमपी बॉर्डर से बेडी पुलिया तिराहा तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 तक

1. प्रातः 5:30 बजे जो नो एंट्री बैरियरों से प्रवेश किए हुए भारी माल वाहन वहां प्रातः 06:30 बजे तक प्रत्येक दशा में नो एंट्री क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे।

2. नगर में वैवाहिक/धार्मिक/त्यौहार/जुलूस/झांकी/शोभा/यात्रा/राजनीतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किए जाने पर परिवर्तन की सूचना जो अंतिम बैरियर पर ही दी जाएगी।

भारी एवं मध्यम माल वाहनों का डायवर्जनः-

प्रयागराज से बांदा व सतना जाने वाले वाहनः-

1. बोड़ी पोखरी चौराहा से राजापुर होते हुये बांदा की तरफ जायेंगे।

2. बोड़ी पोखरी चौराहा से पुलिस लाइन तिराहा (खोह), सरैया, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर) होकर सतना की तरफ जायेंगे।

3. राजापुर से आने वाले बड़े वाहन पहाड़ी से अतर्रा होकर बांदा की तरफ जायेंगे।

बांदा से प्रयागराज जाने वाले वाहनः-

1. अतर्रा से बिसन्डा, पहाडी, राजापुर होकर प्रयागराज की तरफ जायेंगे।

<u>सतना से प्रयागराज व कौशाम्बी जाने वाले वाहनः-</u>

1. बड़ी पाटिन तिराहा से इटवा डुडेला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोड़ी पोखरी चौराहा होकर प्रयागराज की तरफ जायेंगे।
2. बड़ी पाटिन तिराहा से इटवा डुडेला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोडी पोखरी चौराहा, राजापुर होकर कौशाम्बी की तरफ जायेंगे।

<u>दो पहिया एवं हल्के वाहन (तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का डायवर्जन-</u>

1. जानकी कुण्ड एवं सतना की तरफ जाने वाले दो पहिया एव हल्के वाहन(तीन पहिया, चार पहिया वाहन) धनुष चौराहा से देवांगना घाटी होते हुये जायेंगे।

(4). आज दिनाँक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा चौकी शिवरामपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवासीय परिसर का भ्रमण कर प्रभारी शिवरामपुर को परिसर की साफ-सफाई एवं आगामी धनतेरस,दिपावली/ कार्तिक अमवस्या मेला के दृष्टिगत चौकी क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में सगी बहन के आभूषण रखने व आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी भाई को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय दिनाँक 16.08.24 को वादी श्री सन्तराम यादव पुत्र श्याम यादव निवासी ग्राम नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपनी बहन की ससुराल मे ससुरालीजनो द्वारा जहर खिलाकर हत्या की जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में धारा 175(3)बी0एन0एस0एस0 में आदेश कराकर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 152/24 धारा 328/504/506/304 भादवि0 बनाम 1.छोट्टी उर्फ उदय यादव पुत्र धर्मपाल यादव 2.पंकज यादव पुत्र धर्मपाल यादव 3. अन्नू पुत्री धर्मपाल यादव 4. पूनम पत्नी छोट्टी उर्फ उदय 5. कुन्दा पत्नी धर्मपाल यादव 6. धर्मपाल यादव पुत्र स्व0 सरजो प्रसाद निवासीगण दराई मजरा चुरेहकशेरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा विवेचना उ0नि0 श्री रामअधार सिंह को सुपुर्द की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि मृतका श्रीमती विद्यारानी का पति की करीब 04 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी थी जिसके मुआवजे के रूप मे सरकार से 05 लाख रूपये मिले थे, जिस पैसे को मृतका के भाई 1. सन्तराम यादव पुत्र 2. पप्पू यादव 3. मुन्ना यादव पुत्रगण श्याम यादव निवासीगण उपरोक्त चाहते थे कि पैसा इन लोगो को मिल जाये जिससे मृतका के ससुर व मृतका श्रीमती विद्यारानी ने विरोध जताया और प्राप्त पैसे को मृतका के ससुर धर्मपाल यादव पुत्र स्व0 सरजो प्रसाद निवासी दराई मजरा चुरेहकशेरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा मृतका के दोनो बच्चों के नाम एक- एक लाख रूपये तथा मृतका के नाम तीन लाख रूपये जमा करा दिये। पूर्व में मृतका का जेवर उसके भाइयो

द्वारा अपने पास रख लिया गया था जिसमे मृतका दिनांक 22.06.2024 को अपने बच्चो के साथ जेवर लेने मायके गयी थी। उसके तीनो भाइयो द्वारा जेवर न देकर उसके साथ गाली गलौज किया। जिस पर मृतका वहां से दुखी होकर यह कहते हुए कि हमारा जेवर नही दोगे तो हम जहर खाकर मर जायेगे और अपने एक भाई के साथ ससुराल आ गयी दिनांक 26.06.2024 को मृतका चूहे मारने वाली दवा खा ली जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। विवेचना के क्रम में मृतका के दोनो बेटो का दिनांक 16.10.2024 को मा0 न्यायालय मे धारा 183 बी0एन0एस0एस0 मे बयान अंकित कराया गया। उपरोक्त तथ्यो की दोनों लडको के बयान में पुष्टि है जिसके आधार पर ससुराल पक्ष के अभियुक्तगण 1.छोट्टी उर्फ उदय यादव पुत्र धर्मपाल यादव 2.पंकज यादव पुत्र धर्मपाल यादव 3. अन्नू पुत्री धर्मपाल यादव 4. पूनम पत्नी छोट्टी उर्फ उदय 5. कुन्दा पत्नी धर्मपाल यादव 6. धर्मपाल यादव पुत्र स्व0 सरजो प्रसाद निवासीगण दराई मजरा चुरेहकशेरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट की नामजदगी गलत करते हुये धारा 328/304/504/506 भा0द0वि0 का लोप किया व इस घटना में अभियुक्तगण मृतका के तीनो भाई 1.सन्तराम यादव 2.पप्पू यादव 3. मुन्ना यादव पुत्रगण श्याम यादव निवासीगण ग्राम नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को प्रकाश में लाया गया इनके विरुद्ध धारा 406/306 भा0द0वि0 मे परिवर्तित की गयी और अभियुक्त सन्तराम यादव पुत्र श्याम यादव निवासी ग्राम नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामअधार सिंह
2. का0 अजीजउद्दीन

(6). अपर पुलिस महानिदेशक यूपी0-112 मुख्यालय लखनऊ के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी डायल-112 चित्रकूट व प्रभारी डायल-112 निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्य के पर्यवेक्षण में जनपद में चल रहे डायल -112 के 09 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त हुआ।

श्रीमंत देवराज क्रिएशन कानपुर की नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह भदौरिया के नेतृत्व में आज दिनाँक 23.10.2024 को कस्बा मारकुण्डी में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

इस दौरान नुक्कड़ नाटक टीम के कलाकारों द्वारा आम जनमानस को आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता हेतु तत्काल डायल-112 पर कॉल करने हेतु जागरुक किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नाटक प्रस्तुत किये गये जैसा कि यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होती है तो तत्काल उसे अस्पताल भेजें न कि वीडियो बनायें या फिर तत्काल 112 डायल करें, किसी भी कार्यालय में यदि किसी महिला का उनके उच्चाधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया जात है तो तत्काल 112 डायल करें, यदि किसी घर में पति के द्वारा महिला के साथ मारपीट की जाती है तो ऐसी स्थिति में तत्काल 112 डायल करें।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुषोत तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम

सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2022 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1. राजाराम पुत्र रामधनी 2. मुकेश पुत्र राजाराम निवासीगण नहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). आज दिनाँक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में थाना बहिलपुरवा परिसर में इंटर लाकिंग कार्य एवं प्रशासनिक भवन का हुए जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया गया एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया एवं श्री अरविन्द कुमार को मुख्य आरक्षी से उ0नि0 पद पर पदोन्नति होने पर स्टार लगाकर मुहँ मीठा कराया गया तथा थाना बहिलपुरवा में नियुक्त कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन कर मौजूद सभी कर्मचारियों से डी0ए0,टी0ए,मेडिकल प्रतिपूर्ती एवं वेतन सम्बन्धित समस्याओं को पूछा गया तथा निदान हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह,पीआरओँ श्री प्रदीप पाल एवं थाना पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।